प्रतिबन्ध :

1. भू-स्वामित्व तथा चौहद्दी सम्बन्धी कोई वाद-विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. मानचित्र के अनुसार ऐसर एक्टा तथा नेशनल सिक्योर सेफ्टी कार्टीज के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. भविष्य में शासनादेश विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विभाग की कोई योजना निकलती है, तो उक्त द्वारा दय होगी।
4. जनरल्स एक्ट तथा NBCR के प्राविधानों का पालन करना होगा।
5. भवन का जलापूर्ति की स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित किये जाने तक विकासकर्ता द्वारा रख-रखाव/व्यवस्थापन द्वारा रख-रखाव किये जाने की जिम्मेदारी होगी।
6. उक्त द्वारा मौजा खोटी सीलमपुर थाना न्यूटन की स्थापना भवन के मुजी डीकवन के अनुसार 25 प्रतिशत कवरान परिधि पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।
7. अग्निशमन विभाग के द्वारा उपलब्धित प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा।
8. ध्वनि पर अवलम्बन सुविधाओं को मानकों के अनुसार विकसित करना तथा उपयोगी स्थानीय निवासी की सेवाओं में संयोजित करने का उत्तरदायित्व भू-स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
9. शासनादेश के क्रम में भूखण्डों प्रकार, रेकवरी इन्फ्रेस्टेक्चर विस्तरन व सुसंगठन एवं लेन्ड एडमीन का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
10. नेशनल सिक्योर कोर्ड के प्राविधानों के अन्तर्गत आपातकाल सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
11. उद्यानकार, सुरक्षाकर्मियों व अन्यान्य व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध कराया जायेगा।
12. निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
13. भू-स्वामी द्वारा सुनिश्चित करेगा कि भवन पर किसी प्रकार के नाड़ी न हो तथा उसमें जल भराव न हो, यदि ऐसा पाया जाता है, तो उपरोक्त भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
14. स्थल पर निर्माण के समय स्वीकृति सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित करते हुये निर्माणित प्रारूप का एक बोर्ड लगाना होगा।
15. शासनादेश संख्या-410/9-3-10-19 विविध/2016 दिनांक 22 मार्च, 2018 के क्रम में दिये गये शपथ पत्र के अनुसार भवन में निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक श्रम विभाग/प्राधिकरण कोष में जमा कराकर स्थाई की स्थापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
16. गन्तव्य का उपयोग केवल गृह आवास प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।
17. यदि मानचित्र एवं स्थल भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं नियमन अधिनियम, 1973 की धारा-16(3) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्यमंत्री मानसपुत्र के शासन के शासन द्वारा निर्गत
शासनादेश संख्या-370/9-आ0-1-2001-मुख्यमंत्री/2001 (आ.क.) दिनांक 03.02.2001,
शासनादेश संख्या-772/9-आ-1-मुख्यमंत्री/2001 (आ.क) दिनांक 13.02.2001 तथा
शासनादेश संख्या-2101/9-आ-1-मुख्यमंत्री/2001 (आ.क.) दिनांक 20.07.2001
के अधीन प्रतिबन्धों का विवरण।

1.

(iv) नियम मानने वाला निर्माण, मुख्यतया नगरीय क्षेत्रों में शासन एवं नेशनल सिक्योर सोर्ट के प्राविधानों के अनुसार एवं मानचित्र प्राधिकरण एवं मानचित्र द्वारा उपलब्धित विकास के अनुसार ही होगा।

(iv) निर्माण का सुनिश्चित भी 1/4 मानचित्र भी रिकॉर्ड तथा उनके खसरानाबीस के अधीन किया जायेगा साथ साथ सुरक्षा भी अधीन मानचित्रों का अनुपालन सुनिश्चित गई।

(v) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा, न कब्जे दिया जायेगा।

2. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु उक्त शासनादेश के प्रपत्र-3 में उल्लिखित आवश्यक प्रतिबंधों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुनिश्चित किये जायेंगे-

प्र-1 भवन निर्माण हेतु नियत स्वीकृतों को जो मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे उन सभी मानचित्रों पर भू-स्वामी/विकास, कंसल्टेन्ट आर्किटेक्ट के साथ-साथ मुख्यमंत्री मिशन-2 मिशन करने वाली मुख्यमंत्री इंजीनियर तथा सहित विकास-2 मिशन करने वाली सहित विकास इंजीनियर के पूरे नाम तथा पूर्णकृत हस्ताक्षर से मुख्यमंत्री विकास हेतु के मानचित्र परिनियम-2 में संशोधन प्रावधान में अंकित किया जायेगा। इसके साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 20 जनवरी, 2011 के साथ शासन परिपत्र-2, दिनांक हस्ताक्षरित संयुक्त में उल्लिखित विवरण का मुख्यतया अंक द्वारा प्रदान की समाविष्ट एवं सहित के साथ में मानचित्र पर अंकित किया जायेगा।

प्र-2 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए भवन मानचित्र के प्राविधानों में आये विचार स्वीकारी द्वारा मानचित्र परिनियम करने के उपरान्त कोई परिनियम/परिनियम कराया जाता है तो मुख्यतया तथा प्राधिकरण विकास में भी मुख्यमंत्री आवास के मानचित्र अवश्यक परिनियम मुख्यतया इंजीनियर के मुख्य स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय, जिसमें भी उपरोक्त प्र-1 अनुसार प्रत्येक भवन भाग तथा विकास इंजीनियर विकासकर्ता जिसकी भी मुख्यतया जाय आवास द्वारा एवं प्रत्येक भाग भी मानचित्र मानचित्र के अनुसार ही भवन निर्माण कार्यों का सम्बन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 उक्त शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 2001 के प्रपत्र-3 में उल्लिखित स्वीकृति की शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी लगी जायेंगे-

प्र-1 भवन निर्माण के संचालन हेतु एक लगातार सिविल अभियन्ता जिसे भवन निर्माण के कार्यों के संचालन में कार्य के दौरान दीर्घ अनुभव प्राप्त हो, अनुबद्ध किया जायेगा। परिनियम 4 पर निर्माण कार्य से उक्त सुनिश्चित कार्यान्वित भवन निर्माण हेतु मुख्यतया इंजीनियर द्वारा संचालनकार्य पूर्णता एवं मुख्यतया मानचित्र मानचित्रों कार्यों के लिए एक विशेषज्ञ अनुबंधित की नहीं है कार्य अनुसार ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

प्र-2 भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियाँ सीमेंट, स्टील, स्टोनचिप्स, ईंट कोर्स सैन्ड एवं फ्लाई एश सामग्रियाँ निर्माण इकाईयों की इकाईयों में उपयोग में लाई जायेंगी जो गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परिक्षण करने की सुविधा उपलब्ध एवं अपेक्षित होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियाँ की निर्माणित सामग्रियाँ प्रत्येक कुन्दी, उपयोग का सीमेंट व पारामीटर परिक्षण अधिकृत इंजीनियरों/संस्थाओं के उपयोग उनकी परिनियम परिपत्रण कार्यस्थल पर ही उपलब्ध एवं

तारीख जब भी कोई विशेषज्ञ भ्रमण पर कार्य का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इस परिनियम परिपत्रों को भी देख सकें।

प्र-3 समस्त जाल का आकलित स्ट्रक्चरी/निर्माण एक स्टाफ एसपर्ट द्वारा भी संचालन प्रबंधन/सेल/आर्किटेक्ट द्वारा निकुला रिपोर्ट द्वारा एवं साथ-साथ यह निर्माण कार्य का निर्माण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में उपरोक्त-साथ का उसी लिए जारी करते निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निर्माणकार्य सम्बन्धी विवेचना की रिपोर्ट सन्तोषजनक नहीं होती तो आगे का निर्माण कार्य सम्बन्धी पूर्ण निर्माण कार्य को रुकवाया जायेगा एवं मुख्य भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल स्वीकृत प्रमाण-पत्र रद्दी भी किया जायेगा बल्कि निर्माणकर्ता व भवनों स्वामित्व संबंधित की पूर्ति में नहीं जायेंगे और अनुपालन कार्यवाही की भी जायेगी।

8- शासनादेश का अनुपालन स्थान पर 4 मुद्रा 2.3 मुद्रा आकार का एक बोर्ड लगा होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम आर्किटेक्ट, मुख्यमंत्री इंजीनियर, सहित जिलाधिकारी इंजीनियर एवं मुख्यमंत्री इंजीनियर का नाम इस प्रकार अंकित हो। कि आम ही सभी मुख्य मार्ग में ही इसे देख पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य के समाप्ति प्रमाण के समाप्ति प्रमाणपत्र पर निम्न अंकित की उपलब्ध होंगे-

(i) नियम अनिवार्यता द्वारा स्वीकृत नगरीय की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

(ii) अनुमोदित प्राधिकरण/संस्थान द्वारा दी गयी पूर्ण परिनियम की पूर्ण रिपोर्ट एवं उपलब्धित रोड के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।

(iii) स्वीकृत मुख्यमंत्री इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त-रोड, हाउस मुख्यतया की मानचित्र एवं भवन की मुख्यमंत्री उपयोग हेतु प्रमाणपत्रक पूर्णता से समाप्ति सम्बन्ध कार्यवाही एवं मुख्यतया विवरण।

(iv) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एन्ड टी. का विवरण।

(v) सर्वोच्च इंजीनियर हस्ताक्षरकर्ता रिकॉर्ड परिपत्र।

(vi) सम्बन्धी परिनियम रिकॉर्ड एवं समाप्ति संस्थान।

उपरोक्त शर्तों का पालन करने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की मुख्यतया धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।